मेवाड़ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया

गंगरार, 11 दिसम्बर (जसं.) । मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि संकाय और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन कुलपति प्रो. आलोक मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया।

इस अवसर पर कुलपति प्रो. मिश्रा ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मानव अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले वह अधिकार है जो प्रत्येक मानव को केवल मनुष्य होने के नाते मिले हुऐ हैं, चाहे उनका राज्य, समाज, राष्ट्रीयता जाति, रंग या धार्मिक विश्वास कोई भी क्यों न हो। यह नैतिक अधिकार प्रत्येक मानव के लिये समान और सार्वभौमिक होते है। उन्होने विद्यार्थियों को लोकतान्त्रिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों में अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराध करने वाला और अपराध देखने वाला दोनों ही दोषी हाते है। कार्यक्रम के दौरान विधि विभाग के विद्यार्थियों ने मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर भाषण एवं कविताऐं प्रस्तुत की। स्वागत भाषण सहायक प्राध्यापक गीतांजली शर्मा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन विधि विभाग के विद्यार्थी अटल बिहारी चौधरी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन विधि विभागाध्यक्ष लवीना चपलोत द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में डॉ. वाई सुदर्शन, डॉ.आरएस राणा, डॉ. सोनिया सिंगला, डॉ. शुभदा पाण्डेय, डॉ. सुमित कुमार पाण्डेय, डॉ. राजेर्षी कसौधन, डॉ. जितेन्द्र वासवानी, डॉ. प्रमोद मेहता, दीपक जोशी, आदित्य कौशिक, सुप्रिया चौधरी, सुगम तेनवार, इबाशीशा सुचियांग, अखिलेश शर्मा, भगवान सुमन, हरिओम गन्धर्व सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

मेवाड़ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया

गंगरार, 11 दिसम्बर (जसं.) । मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि संकाय और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन कुलपति प्रो. आलोक मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया।

इस अवसर पर कुलपति प्रो. मिश्रा ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मानव अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले वह अधिकार है जो प्रत्येक मानव को केवल मनुष्य होने के नाते मिले हुऐ हैं, चाहे उनका राज्य, समाज, राष्ट्रीयता जाति, रंग या धार्मिक विश्वास कोई भी क्यों न हो। यह नैतिक अधिकार प्रत्येक मानव के लिये समान और सार्वभौमिक होते है। उन्होने विद्यार्थियों को लोकतान्त्रिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों में अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराध करने वाला और अपराध देखने वाला दोनों ही दोषी हाते है। कार्यक्रम के दौरान विधि विभाग के विद्यार्थियों ने मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर भाषण एवं कविताऐं प्रस्तुत की। स्वागत भाषण सहायक प्राध्यापक गीतांजली शर्मा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन विधि विभाग के विद्यार्थी अटल बिहारी चौधरी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन विधि विभागाध्यक्ष लवीना चपलोत द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में डॉ. वाई सुदर्शन, डॉ.आरएस राणा, डॉ. सोनिया सिंगला, डॉ. शुभदा पाण्डेय, डॉ. सुमित कुमार पाण्डेय, डॉ. राजेर्षी कसौधन, डॉ. जितेन्द्र वासवानी, डॉ. प्रमोद मेहता, दीपक जोशी, आदित्य कौशिक, सुप्रिया चौधरी, सुगम तेनवार, इबाशीशा सुचियांग, अखिलेश शर्मा, भगवान सुमन, हरिओम गन्धर्व सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।